न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 99/24 GCMS NO 2024/189

1. पून्या पुत्र बजरंगा
2. हनुमान पुत्र बजरंगा जातियान बैरवा निवासीयान ढाणी सवाईगंज ग्राम कुश्तला तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. हरगोविन्द पुत्र गिरधारी निवासी ढाणी सवाईगंज ग्राम कुश्तला तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. छीतर पुत्र माधू(मृतक)
2/1. कालू
2/2. मनफूल
2/3. कुलदीप
2/4. रोशन पुत्रान छीतर बैरवा निवासीयान ढाणी सवाईगंज कुश्तला तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3. रमेश पुत्र माधू (मृतक)
3/1. संतोष पत्नि रमेश
3/2. दयाराम पुत्र रमेश
3/3. सियाराम पुत्र रमेश
3/4. विमला पुत्री रमेश पत्नि गिर्रा[illegible] बैरवा निवासी गंभीरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3/5. हेमलता पुत्री रमेश प[illegible] बृजमाहन बैरवा निवासी बाढपुरा तसहील व जिला सवाई माधोपुर
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मिसल न0 1280 निर्णय व डिक्री दिनांक 1.3.86 न्यायालय उप जिलाधीश सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री राधेश्याम बैष्णव
अभिभाषक रैस्पो0 श्री रविशंकर [illegible]

दिनांक 27.10.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 1.3.86 न्यायालय उप जिलाधीश सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में छीतर,रमेश व हरगोविन्द/रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 द्वारा वाद पत्र विरूद्व पून्या,हनुमान पिसरान बजरंगा /अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

दावा तकासमा ,इस्तकरारहक अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट के तहत खाता संख्या 246 ग्राम ढाणी सवाईगंज के खसरा न0 1833,1837, 1881/1, 1897/2, 2097, 1944, 2090, 1829, 1881/2, 1895, 1896/2, 1913 कुल किता 12 का विभाजन हेतु वाद पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र आपसी सहमति के आधार पर डिक्री कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांटगण/पून्या,हनुमान पिसरान बंजरंगा द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय येदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो से परे होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत ने अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर जल्दबाजी मे उक्त निर्णय केवल वाद पत्र को आधार मानकर दस्तावेजी साक्ष्य व कानूनी प्रावधानो के विपरीत जाकर वाद पत्र को डिक्री किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। इसका सबसे बडा प्रमाण यह है कि प्रथम दृष्टया ही वादीगण रेस्पो0 का वाद खारिज योग्य था क्योकि तहत न्यायालय ने यहॉ तक जॉच नही की कि वाद पत्र मे वर्णित आराजीयात बजरंगा की स्वअर्जित अलोट शुदा भूमि है तथा उन्होने उक्त आराजीयात को पैतृक भूमि मानकर विभाजन कर दिया जो कि पूर्णतया कानून के विपरीत है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधानो के मुताबिक बंटवारे का वाद पत्र एक मात्र सहखातेदार ही ला सकता है। यदि कोई सहखातेदार नही है तो उसे बिना घोषणा के बंटवारा कराये जाने का कोई कानून हक हासिल नही है तथा यह वाद पत्र धारा 88 व 53 के तहत सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत कर सकता है तथा अपीलांट खातेदार के फर्जी हस्ताक्षर कर यह अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है जो प्रारंभ से ही शून्य आदेश की श्रेणी मे आता है तथा शून्य आदेश से किसी प्रकार के हक एवं अधिकार अर्जित नही होते है इस बात पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। बजरंगा के दो पुत्र पून्या व हनुमान है जो बजरंगा के विधिक वारिसान है। जो अपीलांट है। अपीलांट के पिता बजरंगा पुत्र मांग्या की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि जमाबंदी खतौनी सम्वत 2009 मे खसरा न0 1829,1833,1837,1881,1895,1897,1913,1944,2090,2097 कुल किता 10 कुल रकबा 18 बीघा वाके ग्राम [illegible] (ढाणी सवाईगंज) मे स्थित है। जो आधार वर्ष जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 खसरा न0 3822 रकबा 0.0200 है0, 3823 रकबा 0.0100 है0 गैर मुमकिन चाह, 3824 रकबा 0.0200 है0, 3825 रकबा 0.0200 है0, 3827 रकबा 0.1000 है0, 3905 रकबा 0. 5800 है0, 3979 रकबा 0.1500 है0, 3980 रकबा 0.1400 है0, 4010 रकबा 0.4000 है0,4012 रकबा 0.5000 है0, 4071/5275 रकबा 0.2400 है0, 4137 रकबा 0.2100 है0, 4627 रकबा 0.7900 है0, 4629 रकबा 0.500 है0, 4630 रकबा 0.2200 है0, 4640 रकबा 0.4700 है0 कुल किता 16 कुल

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

रकबा 3.9200 है0 भूमि अपीलांट की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जो विरासत के आधार पर अपीलांट को प्राप्त हुई है उक्त आराजीयात मे छीतर,रमेश पिता माधू, हरगोविन्द पुत्र गिरधारी द्वारा फर्जी तरीके से पैत्रक सम्पति बताते हुए फर्जी तरीके से बंटवारा करवाया है जो विधि के विपरीत है। उक्त बंटवारा फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधडी कर उक्त अधिनस्थ न्यायालय के आदेश के तहत न्यायालय से प्राप्त किया है। जो विधि के विपरीत है इस बात पर गौर किये बिना ही उपरोक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो प्रारभ से ही शून्य आदेश की श्रेणी मे होने से निरस्त होने योग्य है। धारा 53 आर टी एक्ट के तहत एक सहखातेदार ही वाद ला सकता है जबकि छीतर ,रमेश पुत्रान माधू व हरगोविन्द पुत्र गिरधारी उक्त भूमि के सहखातेदार नही है खातेदारी प्राप्त करने के लिए वादीगण को सक्षम न्यायालय मे धारा 188 आर टी एक्ट के तहत वाद पत्र लाना चाहिए था तथा खातेदार काश्तकार घोषित कराने के उपरान्त ही इन्द्राज दुरूस्ती का बंटवारा वाद साक्ष्य किया जा सकता है एवं विधि का स्पष्ट सिद्वान्त है कि पक्षकारान को राजीनामा के जरिये भी निर्णय व डिक्री प्रदान की जा सकती है तो राजीनामा राजस्व रिकार्ड के अनुकूल व लॉफूली होना चाहिए अन्यथा इस प्रकार किसी भी खातेदार की भूमि को किसी भी रूप से अन्य को हस्तान्तरित नही की जा सकती है ना ही उसके पक्ष मे खातेदारी की जा सकती है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने व बिना अपीलांट को नोटिस जारी किये बिना हनुमान व पून्या के फर्जी हस्ताक्षर कर पारित किया गया है पून्या व हनुमान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के खिलाफ होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जाकर अपीलाट को पूर्व मे नही थी। दिनांक 10.10.24 को उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के नोटिस प्राप्त होने से प्रथम बार जानकारी हुई। इस प्रकार अपील जानकारी के आधार पर अन्दर मियाद पेश की गई है वैसे भी अपीलाधीन आदेश व डिक्री प्रारंभ से शून्य आदेश की श्रेणी मे आता है तथा शून्य आदेश से किसी भी प्रकार का हक एवं अधिकार प्राप्त नही होते है। इस प्रकार के आदेश को किसी भी समय सक्षम न्यायालय मे चुनौती देकर निरस्त किया जा सकता है। अतःअपीलाट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.03.86 मुकदमा न0 1280 अधिनस्थ न्यायालय को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि सर्वप्रथम यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील लोक अदालत केम्प सवाई माधोपुर मे पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्व पेश की गई है। जबकि कानूनन लोक अदालत मे पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपील पोषनीय नही है। लोक अदालत मे पारित निर्णय व डिक्री को रिट के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के लगभग 38 वर्ष पश्चात पेश की गई है। जो बिलम्व से पेश की गई है। अपीलांट द्वारा बिलम्व से अपील पेश करने के कारणो का कोई विधिक कारण का उल्लेख नही किया गया है। केवल मात्र यह कहने से कि उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर से प्राप्त नोटिस दिनांक 10.10.24 से अपीलाधीन निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

की जानकारी हुई है। अपीलांट का यह कथन मिथ्या है। क्योकि वादग्रस्त आराजीयात के संबंध मे उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहाँ रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत दायर प्रकरण मे अपीलांट को नोटिस दिया गया है जिसकी तामिल अपीलांटगण द्वारा स्वयं ने प्राप्त की है साथ ही अपीलांटगण की और से वकील अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए है और उनकी ओर से बकालत नामा पेश किया गया है। इस प्रकार अपीलांट का उक्त कथन स्वतः ही झूठा साबित है। कानूनन बिलम्ब से अपील पेश करने के संबंध मे एक एक दिवस के बिलम्ब के कारणो का उल्लेख करना आवश्यक होता है। जो अपीलांट द्वारा नही किया गया। इस प्रकार अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से भी खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना मे राजस्व रिकार्ड मे अम.. हो चुका है तथा नामा0 भी तस्दीक हो चुका है। वादग्रस्त आराजीयात रेस्पो0 व अपीलांट के पूर्वज मांग्या की खातेदारी की रही है। मांग्या के तीन पुत्र थे बजरंगा ,माधू एवं गिरधारी । रेस्पो0 गिरधारी के विधिक वारिसान है। जिसको मांग्या की आराजीयात मे बजरंगा व माधू के समान हक एवं अधिकार है। वादग्रस्त आराजीयात पैतृक आराजीयात रही है इस कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे बंटवारे का वाद पेश किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड की जॉच किये जाने के उपरान्त ही विधिवत रूप से बंटवारा किया जाकर प्रत्येक सहखातेदार को समान हिस्सा बंटवारे मे दिया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। इस प्रकार अपीलांट की अपील सारहीन एवं मियाद बाहर होने से तथा अपीलाधीन निर्णय लोक अदालत मे पारित किया हुआ होने से अपीलांट की अपील पोषनीय नही होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त आराजीयात साबिक खसरा न0 1833,1837, 1881/1, 1897/2, 2097, 1944, 2090, 1829, 1881/2, 1895, 1896/2, 1913 कुल किता 12 ग्राम सवाईगंज मे स्थित है। मांग्या के तीन पुत्र संतान बजरंगा,माधु एवं गिरधारी थे। जिसकी पुष्टि सरपंच ग्राम पंचायत कुशतला द्वारा जारी प्रमाण पत्र से होती है जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो तकासमा लिखा गया है वह मांग्या के पुत्रो बजरंगा,माधु व गिरधारी के वारिसान के बीच आपसी सहमति से गया है। बंटवारा प्रार्थना पत्र मे अपीलांटगण के हस्ताक्षर मौजूद है तथा बंटवारे हेतु जो विभाजन स्कीम (नक्शा ट्रेस) बनाया गया है उस पर अपीलांटगण के हस्ताक्षर मौजूद है इससे स्पष्ट है कि अपीलांटगण को उक्त बंटवारे की तत्समय से ही जानकारी थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.03.86 की पालना मे नामा0 संख्या 1276 दिनांक 14.4.86 को स्वीकृत हो चुका है जो रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत छाया प्रति नामा0 की प्रति से होती है तथा मुताबिक विभाजन ही साबिक ख0न0 1829,188/2,1897/2 1913 पर रेस्पो0 का कब्जा पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 13.4.23 मे माना है। जिससे रेस्पो0 का कब्जा सिद्व होता है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि रेस्पो0 द्वारा फर्जकारी करते हुए अपीलांटगण के हस्ताक्षर बंटवारे पर किये गये है। यदि रेस्पो0 द्वारा किसी प्रकार की फर्जकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

की गई है तो अपीलांट को विधि के प्रावधानो के तहत उनके विरूद्व कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए थी। प्रस्तुत अपील अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के लगभग 38 वर्ष पश्चात पेश की गई है । अपील बिलम्व से पेश करने के सबंध मे अपीलांट द्वारा जो बिलम्व के कारण का उल्लेख धारा 5 मे किया गया है वह कारण इतने लम्बे समय की अवधि को क्षम्य किये जाने योग्य नही है क्योकि बिलम्व के संबंध मे प्रत्येक दिवस का बिलम्व का कारणो को उल्लेख करना आवश्यक होता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आपसी सहमति के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्व पेश की गई है जिसकी कानूनन अपील धारा 96 के तहत पोषनीय नही है । इस प्रकार अपील अपीलांट मियाद बाहर होने एवं आपसी सहमति के आधार पर पारित निर्णय के विरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिलाधीश सवाई माधोपुर के तिसल न0 1280 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.03.1986 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर